

466-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र./...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।


पक्षकार -

श्री राजू परधान पिता श्री जेटू परधान
ग्राम सालीवाड़ा तहसील व जिला जबलपुर

विरुद्ध -

अनावेदक - म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत



माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 75/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 30/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी राजू परधान पिता श्री जेटू परधान निवासी ग्राम सालीवाड़ा तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम कूम्ही प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 19 रकवा 1.620 हेक्टेयर, खसरा नं. 23 रकवा 1.250 हेक्टेयर, एवं खसरा नं. 153/3, रकवा 1.340 हेक्टेयर कुल रकवा 4.21 हेक्टेयर भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- उक्त भूमि गैर आदिवासी को विक्रय हेतु अनुबंध इसलिये नहीं किया क्योंकि अनुमति उपरांत जिसके द्वारा भूमि की अधिकतम राशि का सौदा किया जायेगा, उसे ही आवेदक भूमि क्रय कर सकेगा। अनुबंध करने पर यदि भूमि विक्रय अनुमति में समय भी लगता है और समय के साथ भूमि की कीमत भी बढ़ जाती है। परन्तु अनुबंध करने पर क्रेता अनुबंध में तय राशि की प्रदान करता है। अतः आवेदक को अनुमति उपरांत अधिकतम राशि मिल सकेगी।

प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 30.01.2017 को नियत किया गया, दिनांक 30.01.2017 की पेशी तारीख भूल जाने के कारण आवेदक उपस्थित नहीं हो सकता, जिसके फलस्वरूप कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया।

5- आवेदक श्री राजू परधान द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत आवेदन पत्र में लेख किया है कि उसे अन्य भूमि की तरक्की हेतु एवं बैंक का ऋण चुकाने हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है। जिस गैर आदिम जनजाति सदस्य की राशि वर्तमान गाइड लाइन से भूमि की कीमत अधिक होगी, उसे तदनुसार वर्तमान गाइड लाइन वर्ष के अनुसार आवेदक आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा।

6- उक्त भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

दिनांक 3-2-17 का
श्री. राजू परधान
ग्राम सालीवाड़ा तहसील
जिला जबलपुर

OP-Sharma
Addn
63-2-17

1/1/17

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 466-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 3-1-17 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 3-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये। अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है।</p> <p>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी राजू परधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम कूम्ही प0ह0नं0 79 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 19 रकबा 1.620 हेक्टर</p>	





रज. 466-117

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही/तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>खसरा नं. 23 रकबा 1.250 एवं खसरा नं. 153/3 रकबा 1.340 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत देने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्ररनाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्ररनाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम पुरवा में 4.000 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाहड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है। चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्ररनाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30-01-17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी राजू परधान को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम कूम्ही प०ह०नं० 79 रा०नि०मं० खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 19 रकबा 1.620 हेक्टर</p>	

P/12


(M)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 466-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p style="text-align: right;">R /</p>	<p>खसरा नं. 23 रकबा 1.250 एवं खसरा नं. 153/3 रकबा 1.340 हेक्टर को गैर आदिम जनजाति व्यक्ति को भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा <p>अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;">  (एमके0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर </p>	